छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड

(छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग)

गोविन्द सारंग व्यवसायिक परिसर, द्वितीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)
Phone/Fax : 0771-2252334Email:- cghandicrafts@gmail.comWebsite:-www. cghandicraft.cgstate.gov.in

निविदा क्र/ 894 दिनांक 10.10.2025

गांधी शिल्प बाजार एवं बोर्ड द्वारा आयोजित अन्य समतुल्य प्रदर्शनी हेतु निविदा प्रपत्र (एजेंसी इम्पैनलमेंट हेतु)

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा गांधी शिल्प बाजार के संबंध में प्रदर्शनी आयोजित किये जाने हेतु सक्षम एजेंसी का चयन किया जाना है । उक्त संबंध में दर विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित है । निर्धारित दर अनुसार इम्पैनल्ड एजेंसी को भारत के विभिन्न शहरों में कार्यादेश के अनुसार कार्य संपादित करना होगा । इम्पैनल्ड एजेंसी के अर्हता तथा कार्य के विवरण निम्नानुसार हैः–

विवरण	जानकारी
कार्य का नाम	छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के लिए छत्तीसगढ़ के भीतर प्रदर्शनी आयोजन, प्रबंधन और आवश्यक संबद्ध सेवाएं प्रदान करने हेतु इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों के इम्पैनलमेंट बाबत् निविदा।
अमानत जमा राशि (EMD) (INR में)	1,50,000.00 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट (DD) के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य है ।
इम्पैनलमेंट की अवधि	02 वर्ष + 1 वर्ष
बोली जमा करने की प्रारंभिक तिथि	11/10/2025
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	24/10/2025
वेबसाईट का पता जहां से टेन्डर फार्म एवं शर्ते डाउनलोड की जा सकती है।	www.cgstate.gov.in

टीप– बोली के लिये आमंत्रण के अलावा खण्ड 01 से लेकर 19 में दर्शित दस्तावेज भी बोली में शामिल है ।

प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड
रायपुर (छ.ग.)

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं
एजेंसी की रबर सील

1. तकनीकी मूल्यांकन –

क्र.	तकनीकी अर्हता
1	**कार्य अनुभव**
	किसी भी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/निगम मण्डल/आयोग में समान प्रकृति का कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव एवं कार्यादेश जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है कि छायाप्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा ।
2	**संस्थान का टर्नओवर**
	संस्थान द्वारा विगत 03 वर्षो क्रमशः 2021–22, 2022–23 और 2023–24 में न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर राशि रू. 1.50 करोड़ का होना चाहिए जो कि सी.ए. द्वारा प्रमाणित हो ।
3	**समान प्रकृति के कार्य**
	संस्थान द्वारा विगत 03 वर्षो में न्यूनतम समान प्रकृति के 01 कार्य पूर्ण किये जाने का राशि रू. 50 लाख का कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।
4	**गुमस्ता लाईसेंस– सक्षम अधिकारी द्वारा जारी**
	संस्थान का द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये जीवित गुमस्ता लाईसेंस की स्व–हस्ताक्षरित प्रति।
5	**फर्म/संस्था का पेनकार्ड नम्बर –**
6	**जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक** – राज्य के जी.एस.टी. विभाग में निविदाकर्ता/फर्म का पंजीयन होना चाहिये तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में जिस कार्य के लिये निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि कर अपवचन का मामला नहीं बने, यदि निविदाकार के पास राज्य का जी.एस.टी. पंजीयन नहीं है तो उसे निविदा में चयन पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य में जी.एस.टी. पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा ।
7	**ब्लैक लिस्टेड न होने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र जो कि राशि रू. 100/– के स्टॉम पेपर में हो एवं नोटरी द्वारा सत्यापित हों ।**

2. तकनीकी मूल्यांकन की पद्धति– तकनीकी रूप से अर्ह टॉप के 10 निविदाकार जो कि कंपनी के टर्नओवर अनुसार बढ़ते से घटते क्रम में सारणीकृत किया जायेगा। उन निविदाकारों का तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा । तकनीकी मूल्यांकन में प्राप्त करने वाले अधिकतम 5 एजेंसियों को बोर्ड के द्वारा इम्पैनल्ड किया जावेगा । तकनीकी मूल्यांकन के मापदण्ड निम्नानुसार होगेः–

क्र.	तकनीकी मूल्यांकन मानदंड	अधिकतम अंक	सहायक दस्तावेज
1.	बोलीदाता इस निविदा जारी होने की तिथि से कम से कम 3 वर्ष से इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में पंजीकृत एक कानूनी इकाई (कंपनी/ पार्टनरशिप फर्म/ प्रोप्राइटरशिप फर्म/LLP) होना चाहिए। यदि एजेंसी का कार्यालय छत्तीसगढ़ में स्थित होगा (वैध प्रमाण पत्र के साथ) तो उसे 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। **(अधिकतम 20 अंक)**	3 वर्ष तक–5 अंक 3 से 5 वर्ष तक–8 अंक 5 वर्ष से अधिक –10 अंक छ.ग. में कार्यालय होने पर –10 अंक अतिरिक्त	आवेदक फर्म/कंपनी के नाम पर वैध गुमास्ता लाइसेंस अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति जमा करनी होगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं
एजेंसी की रबर सील

क्र.	तकनीकी मूल्यांकन मानदंड	अधिकतम अंक	सहायक दस्तावेज
2.	वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 और 2023–24 के वित्तीय वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर रू. 1.50 करोड़ होना चाहिए। (सी.ए. द्वारा प्रमाणित) – **अधिकतम 30 अंक**	1.50 करोड़ से 3.00 करोड़ तक के लिए– 10 अंक 3.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक के लिए– 20 अंक 5 करोड़ से उपर के लिये– 30 अंक	अंकेक्षित तुलन पत्र (Audited Balance Sheet), लाभ और हानि (P&L), आईटीआर (ITR) की प्रति, यूडीआईएन (UDIN) संख्या के साथ सीए (CA) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित टर्नओवर प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
3	संस्थान द्वारा विगत 03 वर्षो में न्यूनतम समान प्रकृति के 01 कार्य पूर्ण किये जाने का राशि रू. 50 लाख का कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो – **अधिकतम अंक 30**	3 इवेंट तक (50.00 लाख प्रति इवेंट) के मान से – 15 अंक 5 इवेंट तक (50.00 लाख प्रति इवेंट) के मान से – 25 अंक 5 इवेंट से अधिक (50.00 लाख प्रति इवेंट) के मान से – 30 अंक	समर्थन में कार्य आदेश/लेटर ऑफ अवार्ड/ अनुभव/ कार्य समाप्ति प्रमाण पत्र के साथ भुगतान प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट/ भुगतान वाउचर की छायाप्रति) जमा किया जाना अनिवार्य ।
4	फोटो एवं वीडियो पिछला कार्य प्रस्तुति (Video & Previous Work Presentation) **अधिकतम अंक – 20**		
कुल अंक		**100**	

तकनीकी मूल्यांकन हेतु पात्र समस्त एजेंसियों की जिस दिवस कार्य की प्रस्तुती होगी समस्त दस्तावेज के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होंगे । प्रस्तुतीकरण के पूर्व निविदा में चाहे गये समस्त दस्तावेजों का परीक्षण निविदा समिति के समक्ष कराने के पश्चात् ही प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी । प्रस्तुतीकरण अधिक टर्नओवर से कम टर्नओवर के संस्था की ओर होगा ।

3. <u>कार्य का विवरण –</u>

क्र.	कार्य का विवरण
भाग– अ – स्टॉल का निर्माण (वाटरप्रुफ/सामान्य)	
01	स्टॉल अनुमानित साईज 8x8 उंचाई किनारे पर 9 फिट पानी निकलने की पर्याप्त व्यवस्था हो, नीचे दरी/कारपेट फर्श व्हाईट क्लाथ से कवर्ड पार्टीशन सिलिंग व्हाइट क्लाथ स्टॉल बंद कराने हेतु क्लाथ सहित कपड़ा स्वच्छ एवं नया उपयोग करना होगा ।
02	डिस्पले टेबल अनुमानित साईज 6x3, कवर्ड व्हाईट टेबल क्लाथ बार्डर सहित।(टेबल, क्लाथ से चारो ओर नीचे तक बंद होना चाहिये, टेबल क्लाथ स्वच्छ एवं नया होना चाहिये)
03	गद्दा 02, तकिया 02, चादर 02 सेट प्रति स्टॉल ।
04	प्रत्येक स्टॉल में 02 कुर्सियां ।
भाग– ब – कार्यक्रम के उद्घाटन एवं समापन के दौरान की व्यवस्था	
05	व्ही.आई.पी. चेयर (आवश्यकता 50 नग) अनुमानित 02 दिवस हेतु
06	V.V.V.I.P. चेयर/सोफा अनुमानित आवश्यकता 10 नग एवं सेंट्रल टेबल 5 नग । (2 दिवस हेतु)
07	कारपेट आवश्यकतानुसार कार्यक्रम स्थल में।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं
एजेंसी की रबर सील

भाग– स – विद्युत संबंधी कार्य	
01	एल.ई.डी. मेटल लाईट 02 नग प्रति स्टॉल
02	स्पॉट लाईट आव यकतानुसार कार्यक्रम स्थल में ।
03	हैलोजन 1000 वॉट आवश्यकतानुसार ।
04	एल.ई.डी. बल्ब 45 वॉट कार्यक्रम स्थल में आवश्यकतानुसार ।
05	जनरेटर (साउण्ड प्रुफ) 65 के.व्ही. एवं समस्त व्यय सहित ।(अनुमानित आवश्यकता 01 नग)
06	5 एम्पीयर पावर प्लग पांईट
07	उद्घाटन, समापन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिये उच्च क्वालिटी के माईक एवं सम्पूर्ण साउंड सिस्टम कार्यक्रम के अनुसार लगाना होगा ।
भाग– द – प्रचार –प्रसार	
01	कार्यक्रम आयोजित किये जाने वाले शहर के एक बहुप्रचारित हिन्दी समाचार पत्र एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्रों में 02 दिवस तक विज्ञापन देना होगा जिसका क्वार्टर पेज होगा।
02	कार्यक्रम के दौरान लाउड स्पीकर से प्रचार–प्रसार आवृत्ति प्रति दिवस ।
03	शहर के दो रेडियो चैनल में कार्यक्रम के संबंध में 10 सेकन्ड का रेडियो जिंगल कुल 150 आवृत्ति प्रति 10 दिवस में, प्रति दिवस 08 आवृत्ति प्रत्येक रेडियो में ।
04	कार्यक्रम स्थल में गणमान्य व्यक्तियों के 05 आदमकद का लोहे के फ्रेम वाला स्टैंडी ।
05	कार्यक्रम स्थल में स्टेज पर आवश्यकतानुसार एक बैक ड्राप ।
06	छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अधिकारिक सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर हैसटैगिंग।

टीपः– प्रचार–प्रसार के बिन्दु क्र. 01 एवं 03 में दर्शित कार्य DAVP दर से अधिक दर पर ना कराया जायें ।

कार्य का दरः–

क्र.	भाहर का प्रकार	प्रति दिवस प्रति स्टॉल	प्रचार–प्रसार (प्रति स्टॉल प्रति दिवस)
1	क्लास–**I** (50 लाख से अधिक)	925 रू.	300 रू.
2	क्लास–**II** (10 लाख से 50 लाख)	815 रू.	300 रू.
3	क्लास–**III** (10 लाख से कम)	685 रू.	300 रू.

सामान्यतः गांधी शिल्प बाजार में 51 से 100 स्टॉल लगाये जाते है । अतः भुगतान विकास आयुक्त कार्यालय हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गांधी शिल्प बाजार हेतु जारी निर्धारित स्वीकृति दर के अनुरूप कम एवं अधिक हो सकता है। प्रत्येक गांधी शिल्प बाजार में 10 से लेकर 15 लाख तक व्यय होने का अनुमान है। वर्तमान में प्राप्त स्वीकृति अनुसार 100 स्टॉल प्रति गांधी शिल्प बाजार में लगाये जाने के निर्देश है।

विकास आयुक्त कार्यालय हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार गांधी शिल्प बाजार हेतु निम्न दर निर्धारित किया गया है-

Expense Head (For an event of 100 stall for	Maximum permissible assistance (INR)		
	Class I	Class II	Class III
Infrastructure including services	9,25,000	8,15,000	6,85,000
Publicity	3,00,000	3,00,000	3,00,000
Total	**12,25,000**	**11,15,000**	**9,85,000**

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं
एजेंसी की रबर सील

कार्य स्थलः- गांधी शिल्प बाजार का आयोजन भारत के विभिन्न शहरों (श्रेणी–I, श्रेणी–II एवं श्रेणी–III) में समय–समय पर बोर्ड द्वारा आयोजित किया जायेगा । जिसमें स्थल का चयन तथा स्थल का किराया छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा भुगतान किया जायेगा । जिसकी सूचना इम्पैनल एजेंसी को यथासंभव 15 दिवस पूर्व प्रदान की जावेगी किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में इम्पैनलमेंट एजेंसी को न्यूनतम समयावधि में भी कार्यादेश दिया जा सकता है ।

4. गांधी शिल्प प्रदर्शनी की संख्याः- प्रदर्शनी की संख्या एक वित्तीय वर्ष में 03 से लेकर 10 तक हो सकती है।

5. कटौती की दर :- भौतिक सत्यापन के दौरान निविदा के शर्तो के अनुरूप कार्य कम पाये जाने पर निविदा में एक्पलोर किये गये दर से निम्न प्रतिशत तक की कटौती की जा सकेगी ।

	कार्य का विवरण	एक्सप्लोर रेट के विरूद्ध कटौती का प्रतिशत
भाग- अ		
01	**वाटरप्रुफ/सामान्य स्टॉल** स्टॉल अनुमानित साईज 8x8 उंचाई किनारे पर 9 फिट पानी निकलने की पर्याप्त व्यवस्था हो, नीचे दरी/कारपेट फर्श व्हाईट क्लाथ से कवर्ड पार्टीशन सिलिंग व्हाइट क्लाथ स्टॉल बंद कराने हेतु क्लाथ सहित कपड़ा स्वच्छ एवं नया उपयोग करना होगा ।	20% तक कार्य के आकलन अनुसार
02	डिस्पले टेबल अनुमानित साईज 6x3, कवर्ड व्हाईट टेबल क्लाथ बार्डर सहित।(टेबल, क्लाथ से चारो ओर नीचे तक बंद होना चाहिये, टेबल क्लाथ स्वच्छ एवं नया होना चाहिये)	5% तक कार्य के आकलन अनुसार
03	गद्दा 02, तकिया 02, चादर 02 सेट प्रति स्टॉल ।	2% तक
04	प्रत्येक स्टॉल में 02 कुर्सियां ।	2% तक
भाग– ब		
05	व्ही.आई.पी. चेयर (आवश्यकता 50 नग) अनुमानित 02 दिवस हेतु	5% तक
06	V.V.V.I.P. चेयर/सोफा अनुमानित आवश्यकता 10 नग एवं सेंट्रल टेबल 5 नग । (2 दिवस हेतु)	10 % तक
07	कारपेट आवश्यकतानुसार कार्यक्रम स्थल में।	10% तक कार्य आकलन अनुसार

क्र.	कार्य का विवरण	एक्सप्लोर रेट के विरूद्ध कटौती का प्रतिशत
भाग– स		
01	एल.ई.डी. मेटल लाईट 02 नग प्रति स्टॉल	5%
02	स्पॉट लाईट आवश्यकतानुसार कार्यक्रम स्थल में ।	5%
03	हैलोजन 1000 वॉट आवश्यकतानुसार	5%
04	एल.ई.डी. बल्ब 45 वॉट कार्यक्रम स्थल में आवश्यकतानुसार	5%
05	जनरेटर (साउण्ड प्रुफ) 65 के.व्ही. एवं समस्त व्यय सहित ।(अनुमानित आवश्यकता 01 नग)	10%
06	5 एम्पीयर पावर प्लग पांईट	2%
07	उद्घाटन, समापन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिये उच्च क्वालिटी के माईक एवं सम्पूर्ण साउंड सिस्टम कार्यक्रम के अनुसार लगाना होगा ।	10%

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं
एजेंसी की रबर सील

6. बीमाः– कार्यक्रम स्थल में टेन्ट तथा सामग्री सुरक्षा हेतु बीमा पात्र निविदाकार को कराना अनिवार्य होगा जिस हेतु 10 दिवस के 100 स्टॉल के कार्यक्रम हेतु 25,000 रू. बीमा की राशि भी पात्र निविदाकार को बोर्ड के द्वारा देय होगी । उक्त संबंध में बीमा कंपनी को बिल भुगतान के समय बीमा के संबंध में जो भी दस्तावेज उपयुक्त हो जमा करना अनिवार्य होगा ।

7. निविदा (इम्पैनलमेंट के संबंध में अन्य शर्ते) –

1. यह निविदा वेबसाईट www.cgstate.gov.in से अपलोड कर सकते है ।
2. यह निविदा निर्धारित प्रपत्र में जमा करने की अंतिम तिथि .24.10.2025 अपरान्ह बजे 02:00 तक है । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित बॉक्स में जमा कर सकता है अथवा रजिस्टर डाक के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है ।
3. निविदा में भागीदारी हेतु अमानत राशि 1,50,000.00 (अक्षरी एक लाख पचास हजार रूपये) होगी। जो कि प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड रायपुर के नाम से देय होगी ।
4. निविदा के समस्त पृष्ठों पर तथा समस्त संलग्नकों में निविदाकार अथवा इसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर एवं रबर सील अनिवार्य होगा।
5. यदि 10 से अधिक निविदा प्राप्त होती है तो समस्त प्राप्त निविदा का तकनीकी लिफाफा ही खोला जाएगा । इसमें से अधिकतम 10 निविदाकार कों तकनीकी रूप से पात्र माना जायेगा, प्रथम चरण के तकनीकी स्क्रीनिंग हेतु तकनीकी रूप से पात्र निविदाकारों को टर्नओवर के आधार पर बढ़ते से घटते क्रम में सारणीकृत किया जायेगा । उपर के 10 एजेंसियों को तकनीकी मूल्यांकन हेतु आमंत्रित किया जायेगा जिसकी सूचना उनके द्वारा प्रदत्त ई–मेल के माध्यम से की जायेगी । ई–मेल के अलावा बोर्ड के द्वारा उन्हें उनके द्वारा प्रदत्त फोन नम्बर से सूचित भी किया जायेगा । समिति द्वारा टॉप के 10 एजेंसियों का तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा । तकनीकी मूल्यांकन का पैरामीटर निविदा प्रपत्र में विस्तृत रूप से दिया गया है जिसके आधार पर मूल्यांकन कर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले टॉप के 5 एजेंसियों को इम्पैनल्ड किया जायेगा ।
6. तकनीकी मूल्यांकन में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 5 एजेंसियों को इम्पैनल्ड किया जायेगा । अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले इम्पैनल्ड एजेंसी को T-1 कहा जायेगा । इस प्रकार T1 से T5 तक 5 कंपनियां बढ़ते से घटते क्रम में इम्पैनल्ड रहेंगी । यदि T-1 के द्वारा कार्य संपादित करने से मना किया जाता है तो क्रमशः T-2 से T-5 तक कार्य लिया जा सकता है। चूंकि दर निर्धारण की प्रक्रिया विकास आयुक्त कार्यालय हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर ली गई है । अतः विकास आयुक्त कार्यालय हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से निर्धारित दर के अनुसार ही कार्य लिया जावेगा।
7. यह इम्पैनलमेन्ट 02 वर्ष+01 वर्ष हेतु किया जायेगा किन्तु किसी भी समय इसके पूर्व भी इम्पैनलमेंट समाप्त करने का समस्त अधिकार प्रबंध संचालक हस्तशिल्प विकास बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
8. निविदा प्रपत्र का मूल्य के रूप में भाग लेने वाली संस्था को राशि रूपये 1000/– (अक्षरी एक हजार रूपये) प्रबंध संचालक के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट निविदा में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. जिन एजेंसियों को कार्य करने हेतु कार्यादेश प्रदान किया जायेगा उन्हें निर्धारित दर अनुसार कुल कार्य का 3% राशि सुरक्षा निधि के रूप से डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के नाम से देय होगा जमा करना अनिवार्य होगा ।
10. प्रत्येक कार्य के पूर्व कार्यादेश बोर्ड के द्वारा प्रदान किया जायेगा ।
11. प्राकृतिक आपदा अथवा आगजनी की दशा में यदि आधारभूत संरचना को कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी । उक्त संबंध में बीमा करने हेतु अधिकतम 25,000 रू. बोर्ड के द्वारा प्रदान किया जायेगा यदि इससे अधिक राशि की आवश्यकता है तो जिस एजेंसी को कार्यादेश दिया गया है वह अतिरिक्त राशि का भुगतान

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं
एजेंसी की रबर सील

बीमा कंपनी को करेगा । समस्त प्रदर्शनी में लगे स्टॉल के बीमा का कार्य संबंधित एजेंसी के द्वारा कराया जायेगा ।

12. तालिका में उल्लेखित विवरण अनुसार कार्य संपादन नहीं किये जाने की दशा में निविदा पत्र के साथ संलग्न कटौती दर के अनुसार बिल में कटौती की जायेगी । प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर सत्यापन के आधार पर बिलों में कटौती करने का अधिकार पूर्णतया सुरक्षित रखता है।

13. निविदा के साथ 02 लिफाफे होंगे–

13.1 बाहरी लिफाफा जिसमें पता का उल्लेख होगा । जिसके उपर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड हेतु प्रदर्शनी निविदा लिखा होगा । इसी लिफाफा के उपर निविदाकार प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प विकास बोर्ड, गोविंद सारंग व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर, पिन कोड– 492001 को अपनी निविदा प्रेषित करेंगा । लिफाफा के बाई ओर प्रेषक अपना संपूर्ण पता लिखेगा।

13.2 बाहरी लिफाफा के अंदर **तकनीकी प्रपत्र लिफाफा** होगा जिसके अंदर तकनीकी मूल्यांकन प्रपत्र रखना होगा। तकनीकी मूल्यांकन प्रपत्र के बाहर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रदर्शनी हेतु तकनीकी मूल्यांकन प्रपत्र लिखना अनिवार्य होगा तकनीकी लिफाफे के अंदर तकनीकी अर्हता के संबंध में निविदा में चाहे गये समस्त दस्तावेज की छायाप्रति स्व–प्रमाणित एवं रबर सील सहित डाला जाना अनिवार्य होगा। बाहरी लिफाफा के अंदर अनुलग्नक–I में उल्लेखित प्रपत्र में निविदाकार को हस्ताक्षर कर डालना होगा। अनुलग्नक–I हेतु पृथक से लिफाफा डालने की आवश्यकता नहीं है ।

13.3 इस प्रकार **बाहरी लिफाफा के अंदर निविदाकार को बोलीदाता के सूचना का विवरण** संबंधी प्रपत्र रखना होगा, जो कि अनुलग्नक– III में उल्लेखित है । इसी प्रकार लिफाफा अनुलग्नक–II, अनुलग्नक–IV एवं अनुलग्नक–V भी बाहरी लिफाफे के अंदर रखा जाना होगा ।

समस्त लिफाफा सील बन्द होना अनिवार्य है । खुले हुये लिफाफे स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे ।

8. <u>विशेष टिप्पणियाँ (Notes):-</u>

a) बोलीदाता को सभी अनिवार्य दस्तावेज (mandatory documents) जमा करने होंगे। यदि अनिवार्य दस्तावेज बोलीदाता द्वारा जमा नहीं किए जाते हो, तो बिना किसी और स्पष्टीकरण के बोली को अयोग्य घोषित (disqualified) कर दिया जाएगा।

b) उप–कार्य (sublet works)/संयुक्त उद्यम (Joint venture works) के अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।

c) संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम की अनुमति नही है।

d) यदि आवश्यक दस्तावेज वांछित प्रारूप के अनुसार प्राप्त नहीं होते हो, तो बोलीदाता को अयोग्य माना जाएगा और उसकी निविदा नही खोला जाएगा।

e) जारी किया गया कोई भी संशोधन इस निविदा दस्तावेज का हिस्सा होगा और केवल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, इसे किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नही किया जाएगा।

9. <u>निविदा दस्तावेज का स्पष्टीकरण और संशोधन :–</u>

प्रस्ताव जमा करने से पहले किसी भी समय, बोर्ड किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या किसी बोलीदाता से संचार के जवाब में, निविदा की शर्त और नियम का स्पष्टीकरण जारी कर सकता है या संशोधन/परिवर्तन/वापसी/छूट दे सकता है। उक्त संशोधन/परिवर्तन की सूचना वेबसाईट www.cgstate.gov.in पर अपलोड की जायेगी । समाचार पत्र में प्रकाशित नही किए जाएंगे।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं
एजेंसी की रबर सील

10. समझौताः–

सफल बोलीदाता को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने की तारीख से 03 (तीन) कार्य दिवसों के भीतर 100/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित, कानून द्वारा निर्धारित एक अनुबंध समझौता निष्पादित करना होगा। ठेकेदार को सभी स्टाम्प और कानूनी खर्चों का भुगतान करना होगा। निर्धारित समय के भीतर समझौता निष्पादित करने में विफल रहने पर, बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी और उसके अधिकार रद्द कर दिए जाएंगे। ठेकेदार को अपने पते और मोबाइल/लैण्डलाइन फोन नंबरों में किसी भी बदलाव के बारे में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर को सूचित करना होगा।

11. इम्पैनल्ड एजेंसी की वैधताः–

इम्पैनल्ड एजेंसी 2+1 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति हेतु वैध रहेगा।

12. बोलियों की अस्वीकृतिः–

1. बोर्ड किसी भी कारण के बिना सभी या किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोर्ड के लिए किसी भी बोली को स्वीकार करना या अस्वीकार करना या उनके निर्णय के लिए कोई कारण देना अनिवार्य नही है।
2. बोर्ड बिना किसी सूचना या दायित्व के, किसी भी समय बोली प्रक्रिया के साथ आगे नही बढ़ने का और बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13. अपूर्ण बोलियाँः–

कोई भी निविदा जो अपूर्ण या अस्पष्ट है, वह अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी मानी जायेगी।

14. भुगतान की शर्तें :–

14.1 कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने और वित्तीय उद्धरण के अनुसार बिल जमा करने के बाद, यदि कोई कटौती, कोई अन्य शुल्क, कटौतियाँ या अनुबंध की शर्तों के अनुसार समायोजन हो, तो उन्हें करने के बाद भुगतान किया जाएगा।

14.2 भुगतान बोलीदाता को वित्तीय उद्धरण के अनुसार किया जाएगा। सभी बिल/रिपोर्ट बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए।

14.3 बोर्ड जुर्माना (यदि कोई हो) की आवश्यक कटौतियों के बाद भुगतान करेगा।

15. मध्यस्थताः–

समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद और मतभेद, या अनुबंध के किसी भी उल्लंघन, और समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले या उसके बाद इस निविदा से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को पहले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार नियुक्त एक या अधिक मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता के नियमों के तहत निपटाया जाएगा।

16. क्षेत्राधिकारः–

इस कार्य आदेश के तहत, उससे या उसके बारे में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद, केवल रायपुर, छत्तीसगढ़ में सक्षम न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

17. सूचनाः–

प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए उक्त परियोजना के किसी भी चरण में पूरी प्रक्रिया या उसके कुछ हिस्से को संशोधित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड
रायपुर (छ.ग.)

अनुलग्नक –I

फर्म के लेटर हेड पर कवरिंग लेटर का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड
रायपुर (छ.ग.)

विषयःछत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर के तहत विभिन्न आयोजनों की डिजाइनिंग, आयोजन और समन्वय के लिए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के चयन हेतु निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर द्वारा दिनांक को जारी की गई निविदा क्रमांक–894 दिनांक 10.10.2025 के जवाब में बोली के रूप में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हो।

1. वांछित सेवाओं/कार्य के बोलीदाता की क्षमता में, हम यह घोषणा करते हो कि हम आउटसोर्स किए जाने वाले कार्य (जैसा कि निविदा में उल्लेख किया गया है) को करने के लिए तैयार हो, यदि छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर इस उद्देश्य के लिए हमें चुनता है।
2. हम यह बोली अपने स्वयं के आधार पर जमा कर रहे हो। यदि हमें चुना जाता है, तो हम समझते हो कि यह जांच में निर्दिष्ट संगठनात्मक, तकनीकी, वित्तीय क्षमताओं और अनुभव के आधार पर होगा। हम समझते हो कि हमारी योग्यता का आधार हमारी बोली होगी, और कोई भी परिस्थिति जो जांच के तहत हमारी निरंतर पात्रता को प्रभावित करती है, या कोई भी परिस्थिति जिसके कारण हमें जांच के तहत अयोग्य ठहराया जाएगा या अयोग्य ठहराया जा सकता है, इस प्रक्रिया के तहत हमारी अयोग्यता का कारण बनेगी।
3. हम समझते हो कि आप हमारे द्वारा प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही हो।
4. हम घोषणा करते हो कि हम भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 या किसी अन्य देश में ऐसे ही किसी अधिनियम के तहत किसी जांच का सामना नहीं कर रहे हो। हम अतीत में किसी भी सरकारी/अर्ध–सरकारी एजेंसी द्वारा ब्लैक–लिस्टेड नही किए गए हो।
5. हम यह अंडरटेकिंग देते हो कि, असाइनमेंट कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय (और, यदि हमें चुना जाता है, तो उन्हें निष्पादित करते समय), हम भारत में लागू धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानूनों, विशेष रूप से ''भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988'' का सख्ती से पालन करेंगे।
6. हम स्वीकार करते हो और समझते हो कि यदि छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर को हमारी उपरोक्त घोषणाओं के विपरीत कुछ भी पता चलता है, तो उसे हमें और हमारी बोली को इस प्रक्रिया में आगे भाग लेने से तुरंत अयोग्य ठहराने का अधिकार है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम
पता :

अनुलग्नक –II

बाहरी लिफाफा के अंदर समस्त दस्तावेज स्व–हस्ताक्षरित अथवा सी.ए. द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात डालें

क्र.	तकनीकी अर्हता		
1	**कार्य अनुभव**	**स्व–हस्ताक्षरित संलग्न किया (हां/नहीं)**	**निविदाकार के हस्ताक्षर**
	किसी भी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/निगम मण्डल/आयोग में समान प्रकृति का कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव एवं कार्यादेश जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है कि छायाप्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा ।		
2	**संस्थान का टर्नओवर**		
	संस्थान द्वारा विगत 03 वर्षो क्रमशः 2021–22, 2022–23 और 2023–24 में न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर राशि रू. 1.50 करोड़ का होना चाहिए जो कि सी.ए. द्वारा प्रमाणित हो ।		
3	**समान प्रकृति के कार्य**		
	संस्थान द्वारा विगत 03 वर्षो में न्यूनतम समान प्रकृति के 01 कार्य पूर्ण किये जाने का राशि रू. 50 लाख का कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।		
4	**गुमस्ता लाईसेंस–**		
	संस्थान का द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये जीवित गुमस्ता लाईसेंस की स्व–हस्ताक्षरित प्रति।		
5	**पेनकार्ड नम्बर –**		
6	**जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक** – राज्य के जी.एस.टी. विभाग में निविदाकर्ता/फर्म का पंजीयन होना चाहिये तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में जिस कार्य के लिये निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि कर अपवचन का मामला नहीं बने, यदि निविदाकार के पास राज्य का जी.एस.टी. पंजीयन नहीं है तो उसे निविदा में चयन पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य में जी.एस.टी. पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा ।		
7	**ब्लैक लिस्टेड न होने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र जो कि राशि रू. 100/– के स्टॉम पेपर में हो एवं नोटरी द्वारा सत्यापित हों।**		
8	**सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र एवं सम्पूर्ण दस्तावेज निविदाकार के सील हस्ताक्षर सहित**		

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं
एजेंसी की रबर सील

अनुलग्नक– III

बाहरी लिफाफा के अंदर निविदाकार निर्धारित प्रारूप में अपना समस्त जानकारी पृथक से लिफाफा में डालें

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1.	फर्म/संगठन का नाम	
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
3.	संपर्क व्यक्ति का नाम और संपर्क नंबर	नाम: फोन नं: मोबाइल नं: ई–मेल:

स्थान:–
दिनांक:–

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं
एजेंसी की रबर सील

अनुलग्नक–IV

बाहरी लिफाफा के अंदर तकनीकी प्रपत्र से संबंधित लिफाफा के अंदर डालें

(ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंध न होने के संबंध में अंडरटेकिंग)
(100– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र, विधिवत नोटरीकृत)

मैं/हम ..... जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... पर है, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि और घोषणा करता/करते हूँ/हो कि :

1–मुझे/हमें अतीत में किसी भी समय, किसी भी कारण से, जिसमें खराब प्रदर्शन, धोखाधड़ी की गतिविधियाँ, भ्रष्ट आचरण या अनुबंध का उल्लंघन शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नही है, केंद्र सरकार, किसी सरकार, किसी वैधानिक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU), अर्ध–सरकारी विभाग, स्वायत्त निकाय, या भारत या विदेश में किसी अन्य सरकारी–नियंत्रित संगठन द्वारा कभी भी ब्लैकलिस्टेड, पंजीकरण रद्द (deregistered), प्रतिबंधित (debarred), या अनुमोदित सूची से हटाया नही गया है।

2–मेरे/हमारे विरुद्ध उपर्युक्त किसी भी राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभाग द्वारा शुरू की गई कोई लंबित ब्लैकलिस्टिंग या प्रतिबंध की कार्यवाही नही है।

3–मैं/हम आगे यह घोषणा करता/करते हूँ/हो कि यदि किसी भी चरण में यह घोषणा झूठी, गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो बोर्ड को हमारी बोली को अस्वीकार करने, अनुबंध को समाप्त करने, हमारी ईएमडी/प्रदर्शन सुरक्षा को जब्त करने, और बोर्ड पर बिना किसी दावे या दायित्व के, उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई को करने का पूरा अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड का होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी ।

4–मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करता/करते हूँ/हो कि सरकार, केंद्र सरकार, या किसी अन्य संस्था के पास हमारे या हमारी कंपनी/फर्म/संगठन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई लंबित शिकायत या जांच आदि नही है।

5–मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता/करते हूँ/हो कि इस निविदा के साथ प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज सही है। यदि सत्यापन पर कोई भी दस्तावेज गलत पाया जाता है, तो विभाग उचित कार्रवाई करने और बयाना राशि जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6–हमारे फर्म द्वारा देय जी.एस.टी., अन्य वैधानिक देय राशियों का राज्य/केन्द्रीय सरकार की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है ।

स्थान : _____

दिनांक: _____

(मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम : _____

पदनाम : _____

पता : _____

अनुलग्नक–V
घोषणा पत्र

इस निविदा क्रमांक 894 दिनांक 10.11.2025 में उल्लेखित/निर्दिष्ट सभी नियम एवं शर्ते मान्य है तथा मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है । किसी भी असत्य जानकारी के लिये मैं/हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं
एजेंसी की रबर सील